भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद

अंसारी नगर, नई दिल्ली- 110029

संख्या : 20/01/2001-हिंदी
दिनांक: 08.08.2023

कार्यालय आदेश

यह पाया गया है कि परिषद मुख्यालय के कुछ प्रभागों/अनुभागों और परिषद के विभिन्न संस्थानों/केंद्रों द्वारा निविदा पत्र, पदों की भर्ती से संबंधित विज्ञापन आदि अधिकांशतः अंग्रेजी भाषा में ही छपवाए जा रहें है या प्रकाशित करवाए जा रहे हैं।

यह भी पाया गया है कि परिषद के कुछ संस्थानों/केंद्रों द्वारा हिंदी दैनिक समाचार पत्र / पत्रिकाओं में निविदा पत्र और विज्ञापन केवल अंग्रेजी में ही प्रकाशित करवाए जा रहे हैं।

यह राजभाषा अधिनियम,1963की धारा 3(3)का उल्लंघन है, जिसे संसदीय राजभाषा समिति और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने बहुत गंभीरता से लिया है।

भविष्य में ऐसा न हो यह सुनिश्चित करने के लिए परिषद मुख्यालय के सभी प्रभागों/अनुभागों और परिषद के सभी संस्थानों/केंद्रों को यह निदेश दिया जाता है कि भविष्य में दैनिक समाचार पत्र/पत्रिकाओं (हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं के) और विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय एवं लोकसंपर्क और संचार ब्यूरो आदि में छपवाये जाने वाले/प्रकाशित करवाए जाने वाले तथा परिषद मुख्यालय की मुख्य वेबसाइट और केंद्रों/संस्थानों की वेबसाइट पर अपलोड किए जाने वाले निविदा पत्रों और भर्ती आदि से संबंधित विज्ञापनों को राजभाषा नियम 1963की धारा 3(3)का अनुपालन करते हुए द्विभाषी (हिंदी और अंग्रेजी) रूप में ही छपवाए/प्रकाशित करवाएं।

राजभाषा नियम,1976 के नियम-12 के अनुसार केंद्रीय सरकार के प्रत्येक कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का यह उत्तरदायित्व है कि वे यह सुनिश्चित करें कि राजभाषा अधिनियम और राजभाषा नियम के उपबंधों का समुचित रूप से अनुपालन हो रहा है और इस प्रयोजन के लिए उपयुक्त और प्रभावकारी जांच के उपाय करें ।

इसे सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त है।

राजेश 10/08/23

(जगदीश राजेश)
सहा. महानिदेशक (प्रशा.)

सेवा में,

निदेशक/निदेशक प्रभारी,
परिषद के सभी संस्थान/केंद्र

प्रतिलिपि :- 1. परिषद मुख्यालय, नई दिल्ली के सभी प्रभाग/अनुभाग

2. प्रभाग प्रमुख, बी एम आई- परिषद की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए ।

INDIAN COUNCIL OF MEDICAL RESEARCH
Ansari Nagar, New Delhi- 110029

No.: 20/01/2001-Hindi
Dated: 08.08.2023

Office Order

It has been observed that tender documents, advertisements regarding fill up for posts are mostly being printed or getting published in English language only by some divisions/sections of the council headquarter and various Institutes/Centres of ICMR.

It has also been observed that tender documents and advertisements are being published only in English in Hindi daily Newspapers/magazines by some Institutes/Centres of the lCMR.

This is a violation of Section 3(3) of the Official Language Act, 1963, which has been taken very seriously by the Committee of Parliament on Official Language and the Ministry of Health and Family Welfare, Government of India.

In order to ensure that this does not happen in future, all the Divisions/Sections of the lCMR Headquarters and all the Institutes/Centers of the ICMR are directed that in future, advertisements to be printed/ published in daily newspapers/magazines (both Hindi and English newspapers) and Directorate of Advertising & Visual Publicity and Bureau of Outreach and Communication and advertisements related to tender documents and recruitment etc. to be uploaded on the main website of the ICMR Headquarters and the website of the Centers/Institutions should be printed/published bilingually (Hindi and English) in compliance with Section 3(3) of the Official Language Act, 1963.

According to Rule-12 of the Official Languages Rules,1976, it is the responsibility of the administrative head of every office of the Central Government should be ensured that the provisions of the Official Languages Act,1963 and the Official Languages Rules are properly complied with and for appropriate and effective screening measures should be taken screening for this purpose.

It has approval of the competent authority.

10/08/23

(Jagdish Rajesh)
Assistant Director General (Admn.)

To,

Director/Director In-charge,
All Institutes/Centers of the Council

Copy To : 1. All Divisions/Sections of the Council Headquarters, New Delhi
2. Head of BMI Division- For upload on the main website of the ICMR